कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य / मा–स / / वो–II / 22432 / उत्सव / 2019–20/179 दिनांकः 11.08.2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

विषय :– स्वाधीनता दिवस समारोह –2020 के गरिमापूर्ण ढंग से आयोजन बाबत्।

प्रसंगः– विशिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्देश पत्रांक : प.23(2)साप्र / 2 / 2020 जयपुर, दिनांकः 29.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय पत्र में प्रदत्त निर्देशानुरूप वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड– 2019 के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में स्वाधीनता दिवस समारोह– 2020 (15 अगस्त, 2020) का आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से करवाया जाना सुनिश्चित करें। सन्दर्भित शासकीय पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि पत्र में उल्लेखित विशेषतः शिक्षा विभाग एवं विद्यालयों से संबंधित बिन्दु संख्या 03, 05 एवं 13 के अनुरूप समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु पाबन्द किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्न– यथोक्त।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. समस्त पीईईओ / संस्था प्रधान।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

177/C

अतिआवश्यक
स्वाधीनता दिवस–2020

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.23(2)साप्र/2/2020 जयपुर, दिनांकः 29-7-2020

समस्त सम्भागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर (जयपुर को छोड़कर)।

विषय :– स्वाधीनता दिवस समारोह–2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 (15 अगस्त, 2020) सम्पूर्ण राज्य में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जावे। कार्यक्रमों के आयोजन में कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे जिनमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. सम्पूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जावे।
2. बच्चों एवं बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रित/शामिल नहीं किया जावे।
3. कार्यक्रम में शामिल होने वाले महानुभावों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य हो।
4. कार्यक्रम स्थल पर आगन्तुकों के लिए थर्मल स्केनिंग तथा हैण्ड सैनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो।
5. कार्यक्रम में कोरोना वारियर्स (पुलिसकर्मियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी) को भी आमंत्रित करना है।
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम यथासंभव "कोरोना" पर आधारित रखी जावे।
7. यथासंभव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जन जागृति अभियान में शामिल जिंगल्स/ऑडियो का कार्यक्रम से पूर्व ध्वनि प्रसारण यंत्र से प्रसारण करवायें।

इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवगण को प्रेषित पत्र दिनांक 20.7.2020 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

इसी के अनुरूप जिला मुख्यालयों पर अधोलिखित विविध कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है:–

1. समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा।
2. स्वाधीनता दिवस समारोह–2020 के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2020 को संभागीय/ जिला मुख्यालयों (जयपुर के राज्य स्तरीय समारोह को छोड़कर) पर आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिये प्रभारी मंत्री महोदय के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो ऐसी स्थिति में सम्भागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त तथा जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
3. सम्भागीय स्तर व जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा जिसमें अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस की टुकडियां भाग लेंगी। यथा संभव सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य, देशभक्ति के गीत गाये जायें। (कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाये)
4. जिलों के मुख्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा जायेगा। यह संदेश पृथक से भेजा जा रहा है।
5. शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर सामूहिक राष्ट्रगान भी करें। कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल/आमंत्रित नहीं किया जाये।

29/7/2020

www.rajteachers.com

6. राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला अधिकारी स्थानीय समितियाँ बनायें ताकि कार्यक्रम भलीभांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और उसकी कियान्विति यथोचित रूप से की जा सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाये।
7. समस्त स्थानीय संस्थाओं और जन साधारण से अनुरोध किया जाये कि राष्ट्रीय ध्वज अपने–अपने भवनों, निवास स्थानों पर फहरावें।
8. स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवार के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जावे।
9. कोरोना महामारी के कारण स्वतंत्रता सैनानियों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किया जाये। इसके स्थान पर उन्हें शुभकामना कार्ड निवास के पते पर प्रेषित किया जावे जिसमें कोरोना के कारण उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किये जाने का उल्लेख हो।
10. अखिल भारतीय सेवाओं (ALL INDIA SERVICES) के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जावे। यह व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे आमंत्रितगण को यह महसूस हो कि उन्हें उचित सम्मान दिया गया है। साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जावें।
11. भारत रत्न, राजस्थान रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पदमश्री उपाधि एवं अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा राज्यस्तर/जिलास्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जावे।
12. उपखण्ड स्तर के समारोह में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्य किया जायेगा तथा राष्ट्रगान होगा।
13. पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी। जिन स्थानों पर पंचायत/नगर निकाय में चुनाव/उपचुनाव संभावित है, उन पंचायत/नगर निकायों के मुख्यालयों एवं बडे–बडे गांवों में समारोह में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय होगा उसके प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी।
15. नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव/उप चुनाव होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

संलग्न : उक्तानुसार (5 पृष्ठ)

29/7/2020

(डॉ. मोहनलाल यादव)
विशिष्ठ शासन सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन,जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस/होमगार्डस/जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
8. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
10. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।

12. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
13. समस्त पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
15. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वाधीनता दिवस समारोह-2020 के कार्यक्रम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय पर संभावित आम चुनाव/उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आयोजित करने हेतु अपने स्तर पर निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।
17. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

www.rajteachers.com